न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.), उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू

[दा]वा संख्या–132/2019

उनवान

सुप्यार कंवर वगै0 बनाम महेन्द्र वगै0

1. सुप्यार कंवर आयु 65 वर्ष पत्नी स्व. दीपसिंह जाति राजपूत निवासी इण्डाली तहसील व जिला झुन्झुनूं।
2. मंजु कंवर आयु 45 वर्ष पुत्री स्व. दीपसिंह जाति राजपूत निवासी इण्डाली तहसील व जिला झुन्झुनूं।
3. संतोष कंवर आयु 40 वर्ष पुत्री स्व. दीपसिंह जाति राजपूत निवासी इण्डाली तहसील व जिला झुन्झुनूं।
4. विक्रमसिंह आयु 36 वर्ष पुत्र स्व. दीपसिंह जाति राजपूत निवासी इण्डाली तहसील व जिला झुन्झुनूं।
5. जयसिंह आयु 34 वर्ष पुत्र स्व. दीपसिंह जाति राजपूत निवासी इण्डाली तहसील व जिला झुन्झुनूं।
6. विरेन्द्रसिंह आयु 32 वर्ष पुत्र स्व. दीपसिंह जाति राजपूत निवासी इण्डाली तहसील व जिला झुन्झुनूं।
7. संदीपसिंह आयु 30 वर्ष पुत्र स्व. दीपसिंह जाति राजपूत निवासी इण्डाली तहसील व जिला झुन्झुनूं।
8. सुन्नाकंवर आयु 28 वर्ष पुत्र स्व. दीपसिंह जाति राजपूत निवासी इण्डाली तहसील व जिला झुन्झुनूं।

–वादीगण

बनाम

1. महेन्द्रसिंह पुत्र स्व. बालसिंह जाति राजपूत निवासी इण्डाली तहसील व जिला झुन्झुनूं।
2. नौरंगसिंह पुत्र स्व. बालसिंह जाति राजपूत निवासी इण्डाली तहसील व जिला झुन्झुनूं।
3. सुरेन्द्रसिंह पुत्र स्व. बालसिंह जाति राजपूत निवासी इण्डाली तहसील व जिला झुन्झुनूं।
4. नरेन्द्रसिंह पुत्र स्व. बालसिंह जाति राजपूत निवासी इण्डाली तहसील व जिला झुन्झुनूं।
5. सदाकंवर पुत्री लिछमणसिंह पत्नी अमरसिंह जाति राजपूत निवासी भोमपुरा तहसील व जिला झुन्झुनूं।
6. सतवीरसिंह पुत्र लिछमणसिंह जाति राजपूत निवासी इण्डाली तहसील व जिला झुन्झुनूं।
7. कैलाश पुत्र स्व. बैरिसालसिंह जाति राजपूत निवासी इण्डाली तहसील व जिला झुन्झुनूं।
8. पवन पुत्र स्व. बैरिसालसिंह जाति राजपूत निवासी इण्डाली तहसील व जिला झुन्झुनूं।

उप खण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

उच्छवकंवर पुत्री स्व बैरिसालसिंह पत्नी बाबूसिंह जाति राजपूत निवासी बोगेरा तहसील सरदारशहर जिला चुरू।

10 भंवरी कंवर पत्नी स्व बैरिसालसिंह जाति राजपूत निवासी इण्डाली तहसील व जिला झुन्झुनूं।

11. दलीपसिंह दत्तक पुत्र मंगेजसिंह जाति राजपूत निवासी इण्डाली तहसील व जिला झुन्झुनूं।

12. हवा कंवर पुत्री प्रहलादसिंह पत्नी बलबीरसिंह जाति राजपूत निवासी लोहा तहसील रतनगढ़ जिला चुरू।

13. धापाकंवर पुत्री कुंभसिंह पत्नी जयसिंह जाति राजपूत निवासी साहराण तहसील तारानगर जिला चुरू।

14. मोहनीकंवर पुत्री बच्चनसिंह पत्नी जयसिंह जाति राजपूत निवासी पुन्दरास तहसील तारानगर जिला चुरू।

15. रूकमणीकंवर पुत्री बच्चनसिंह पत्नी प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी पुन्दरास तहसील तारानगर जिला चुरू।

16. विजेन्द्रसिंह पुत्र बच्चनसिंह जाति राजपूत निवासी इण्डाली तहसील व जिला झुन्झुनूं।

17. रोहिताशसिंह पुत्र बच्चनसिंह जाति राजपूत निवासी इण्डाली तहसील व जिला झुन्झुनूं।

18. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार झुन्झुनूं।

19. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भडुन्दा जिला झुन्झुनूं जरिये शाखा प्रबन्धक।

20. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा झुन्झुनूं जरिये शाखा प्रबन्धक।

21. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा गांधी चौक झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं।

----**प्रतिवादीगण**

दावा बाबत घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. ओमप्रकाश सैनी – वादीगण की ओर से।
2. श्री जुगल किशोर सैनी, श्री अमीर हुसैन :– प्रतिवादीगण की ओर से।

दिनांक :– 04.05.2022

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम इण्डाली तहसील झुन्झुनूं के वर्तमान भूमि ख.नं. 642 रकबा 0.37 हैक्टर, ख.नं. 643 रकबा 0.18 हैक्टर, ख.नं. 644 रकबा 0.26 हैक्टर, ख.नं. 645 रकबा 0.31 हैक्टर, ख.नं. 646 रकबा 0.15 हैक्टर, ख.नं. 647 रकबा 0.36 हैक्टर, ख.नं. 648 रकबा 0.74 हैक्टर, ख.नं. 648/1326 रकबा 0.02 हैक्टर गैर मु. कुआ, ख.नं. 652 रकबा 0.84 हैक्टर, ख.नं. 653 रकबा 0.75 हैक्टर, ख.नं. 654 रकबा 0.71 हैक्टर, ख.नं. 655 रकबा 0.84 हैक्टर, ख.नं. 972 रकबा 0.29 हैक्टर कुल किता 13 कुल रकबा 5.82 हैक्टर अवस्थित है जिनके पुराना ख.नं. 128 मी रकबा 21 बीघा 17 बिश्वा ख.नं. 332 रकबा 1 बीघा 3 बिश्वा है। ग्राम इण्डाली में एक चन्द्रसिंह पुत्र सबलसिंह नामक व्यक्ति था। उक्त चन्द्रसिंह पुत्र सबलसिंह का देहान्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने के करीब 2 वर्ष बाद हुआ था। जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र का पहले खातेदार चन्द्रसिंह पुत्र सबलसिंह

उ. खण्ड अधि.
(राज.)

। उक्त चन्द्रसिंह के 7 पुत्र कमशः गोरूसिंह, लिछमणसिंह, मंगेजसिंह, बच्चनसिंह, प्रहलादसिंह एवं कंभसिंह पैदा हुये। उक्त चन्द्रसिंह के देहान्त होने के बाद जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र उत्तराधिकार में संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर उसके उपरोक्त सातों पुत्रों को प्राप्त हुई इस प्रकार उक्त चन्द्रसिंह के प्रत्येक पुत्र का जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र में 1/7 हक हिस्सा हुआ इसी मुताबिक काबिज काश्त रहे। उक्त चन्द्रसिंह के पुत्र गोरूसिंह का भी देहान्त हो चूका है। उक्त गोरूसिंह के एक पुत्र दीपसिंह पैदा हुआ। उक्त गोरूसिंह के देहान्त होने के बाद जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र में से उसके उत्तराधिकार में उसके पुत्र दीपसिंह को प्राप्त हुई। उक्त दीपसिंह का भी सन् 2007 के करीब देहान्त हो चूका है। वादीगण स्त्री, पुत्रगण एवं पुत्रियां होने से उक्त दीपसिंह के वारिस है। उक्त दीपसिंह के देहान्त होने के बाद जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र में से उनके 1/7 हक हिस्से की जमीन उत्तराधिकार में संयुक्त रूप से वादीगण को प्राप्त हुई है एवं इसी मुताबिक काबिज काश्त रहे। उक्त चन्द्रसिंह के पुत्र बालसिंह का देहान्त हो चुका है। जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र में उक्त बालसिंह का 1/7 हक हिस्सा था। उक्त बालसिंह के 5 पुत्र कमशः दलीपसिंह, महेन्द्रसिंह, नोरंगसिंह, सुरेन्द्रसिंह, नरेन्द्रसिंह पैदा हुये। उक्त बालसिंह का पुत्र दलीपसिंह अपने चाचा मंगेजसिंह क गोद चला गया। इस कारण उक्त बालसिंह के देहान्त होने के बाद जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र में से उसके 1/7 हक हिस्से की जमीन संयुक्त रूप से उत्तराधिकार में प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 को प्राप्त हुई। उक्त चन्द्रसिंह के तीसरे पुत्र लिछमणसिंह का भी देहान्त हो चुका है। जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र में उक्त लिछमणसिंह का 1/7 हक हिस्सा था। लिछमणसिंह के दो पुत्र बैरिसालसिंह व सतवीरसिंह व पुत्री सदाकंवर है जिनमें पुत्र बैरिसालसिंह का देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान में पत्नी भंवरी, पुत्र कैलाश, पवन व पुत्री उच्छवकंवर है। उक्त लिछमणसिंह के देहान्त होने के बाद जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र में से उसके 1/7 हक हिस्से की जमीन संयुक्त रूप से प्रतिवादी नं. 5 लगायत 10 को प्राप्त हुई एवं इसी मुताबिक काबिज काश्त रहे। उक्त चन्द्रसिंह के पुत्र मंगेजसिंह का भी देहान्त हो चुका है। जमीण वर्णित धारा 1 वाद पत्र में उक्त मंगेजसिंह का 1/7 हक हिस्सा था। उक्त मंगेजसिंह का देहान्त अविवाहित अवस्था में हुआ था। उक्त मंगेजसिंह ने अपने बड़े भाई बालसिंह से उसके पुत्र दलीपसिंह को गोद लिया था। उक्त मंगेजसिंह के देहान्त होने के बाद उसके 1/7 हक हिस्से की जमीन उत्तराधिकार में उसके दत्तक पुत्र दलीपसिंह को प्राप्त हुई। उक्त चन्द्रसिंह के पांचवे पुत्र बच्चनसिंह का भी देहान्त हो चुका है। प्रतिवादी नं. 14 से 17 पुत्र एवं पुत्रियां होने से उक्त बच्चनसिंह के वारिस है। उक्त बच्चनसिंह के देहान्त होने के बाद जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र में से उसके 1/7 हक हिस्से की जमीन उत्तराधिकार में संयुक्त रूप से प्रतिवादी नं. 14 से 17 को प्राप्त हुई। उक्त चन्द्रसिंह के पुत्र प्रहलादसिंह का देहान्त हो चुका है। प्रतिवादी नं. 12 पुत्री होने से उक्त प्रहलादसिंह के वारिस हैं। उक्त प्रहलादसिंह के देहान्त होने के बाद जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र में से उसके 1/7 हक हिस्से की जमीन उत्तराधिकार में संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर प्रतिवादी नं. 12 को प्राप्त हुई। उक्त चन्द्रसिंह के पुत्र कुंभसिंह का देहान्त हो चुका है। जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र में उक्त कुंभसिंह का 1/7 हक हिस्सा था। प्रतिवादीया नं. 13 पुत्री होने से उक्त कुंभसिंह की वारिस है। उक्त कुंभसिंह के देहान्त होने के बाद जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र में उक्त कुंभसिंह के 1/7 हक हिस्से की जमीन उत्तराधिकार में प्रतिवादीया नं. 13 को प्राप्त हुई एवं इसी मुताबिक काबिज काश्त है। जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र वादीगण एवं प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 17 की पैत्रिक सम्पति है। जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र मिसल हकियत सम्वत 1999 में चन्द्रसिंह पुत्र सबलसिंह के नाम से दर्ज है जिसकी खुद काश्त की जमीन रही है। जमाबंदी सम्वत 2012 में भी उक्त जमीन चन्द्रसिंह क नाम से खातेदारी में दर्ज है तथा जमाबन्दी सम्वत 2016 से 2019 में भी उक्त जमीन की खातेदारी चन्द्रसिंह के नाम से दर्ज है। जमाबंदी सम्वत 2016 से 2019 में नामान्तरकरण सं. 46 के द्वारा उक्त जमीन सिर्फ उक्त

...सिंह के 7 पुत्रों में से दो पुत्र बालसिंह एवं लिछमणसिंह के नाम से खातेदारी गलत दर्ज ...र दी जबकि कानून से उक्त चन्द्रसिंह के देहान्त होने के बाद उक्त जमीन उसके सातों पुत्रों के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज होनी चाहिये थी। उक्त चन्द्रसिंह के सातों पुत्रों व उनके वारिसान के मध्य पहले आपसी प्रेमभाव ठीक थे इसलिये विवादित जमीन का राजस्व रिकार्ड बालसिंह व लिछमणसिंह के नाम से गलत रूप से चलता रहा एवं उक्त बालसिंह एवं लिछमणसिंह के देहान्त होने के बाद उक्त जमीन का राजस्व रिकार्ड उनके वारिसान के नाम से गलत दर्ज हो गया। उपरोक्त प्रकार से बालसिंह एवं लिछमणसिंह एवं उनके वारिसान के हक में उक्त सम्पूर्ण जमीन का राजस्व रिकार्ड बिना आधार के गलत रूप से दर्ज होने से प्रारम्भ से शून्य है एवं वादीगण के हकुक के विरूद्ध निष्प्रभावी है। उक्त बालसिंह के देहान्त होने पर जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र का राजस्व रिकार्ड गलत रूप से उसके चारों पुत्रों के नाम से गलत दर्ज हो गया इस कारण उक्त बालसिंह के पुत्र महेन्द्रसिंह, सुरेन्द्रसिंह, नरेन्द्रसिंह के मन में बेईमानी पैदा हो गई एवं उपरोक्त बेईमानी के कारण उक्त बालसिंह के चारों पुत्रों ने जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र में से गत ख.नं. 300 तादादी 13 बीघा 15 विश्वा में से 1/2 हक हिस्से की जमीन जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से दिनांक 21.09.2000 को प्रतिवादी रणवीरसिंह एवं लालचन्द को संयुक्त रूप से विक्रय कर उनके हक में विक्रय पत्र बिना आधार के गलत रूप से निष्पादित कर उप पंजीयक झुन्झुनूं के यहा पंजीबद्ध करवा दिया। प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 ने बिना अधिकार के अपने हक हिस्से से अधिक जमीन का विक्रय पत्र उक्त रणवीरसिंह व लालचन्द के हक में करवाया है। उक्त विक्रय पत्र एवं उसके आधार पर रणवीरसिंह व लालचन्द के हक में बना राजस्व रिकार्ड भी वादीगण के हकुकों के खिलाफ होने से शून्य है। वादीगण जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र में से 1/7 हक हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित होने के हकदार है। वादीगण ने प्रतिवादी नं. 1 लगायत 17 का जमीन जैर बहस के राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाकर दावा में वर्णित उनके 1/7 हक हिस्से की जमीन दर्ज करवाने बाबत वादीगण ने प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 17 को कहा तो उन्होंने गलत राजस्व रिकार्ड की आड में स्पष्ट इन्कार कर प्रतिवादी नं. 1 लगायत 17 जमीन जैर बहस को गलत राजस्व रिकार्ड की आड में विक्रय करने रहन बय या अन्य तरीके से हस्तान्तरण करने तथा वादीगण के कब्जा काश्त एवं उपयोग व उपभोग में बाधा कारित करने की धमकी दी एवं वादीगण के हक हिस्सा पर जबरदस्ती कब्जा करने की धमकी दी समझाने पर भी नहीं माने इसलिये मौजूदा वाद पत्र अदालत हाजा में पेश करना आवश्यक हुआ। दावा हाजा के लिये वाद कारण दिनांक 28.08.2019 को तब पैदा हुआ जब प्रतिवादी नं. 1 लगायत 17 ने वादीगण के हक हिस्सा की जमीन उनके नाम दर्ज करवाने से स्पष्ट इन्कार कर जमीन जैर बहस को गलत राजस्व रिकार्ड की आड़ में आये विक्रय करने एवं वादीगण के कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग में बाधा कारित करने एवं वादीगण को उनके हक हिस्सा की जमीन से जबरदस्ती बेदखल करने एवं जमीन को खुर्द बुर्द करने की धमकी दी तब वाद कारण अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ।

विवेचन

उक्तानुसार दावा पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रस्तुत समन/तलबाना पर मय दावा प्रति के जरिये नोटिस वास्ते जवाबदेही प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण से 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 व 17 व 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 व 10 के द्वारा जवाब दावा पेश कर वाद की धारा (क) (ख) (ग) स्वीकार करते हुये वाद वादीगण के हक में डिक्री करने पर कोई आपति नहीं होना आपके जवाब दावा में अंकित किया गया। प्रतिवादी नं. 18, 19, 20 आवश्यक पक्षकार होने पर पक्षकार बनाया गया है इसलिये इनके जवाब की न्यायालय मत पर उचित नहीं समझा गया है। प्रति0 नं. 21 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। वादीगण द्वारा वाद की पुष्टि में प्रस्तुत

उप खण्ड अधिकारी
झुन्... (राज.)

दस्तावेजात इस प्रकार से है कि जमाबंदी संवत 2074 2077 वाके ग्राम इण्डाली नकल नक्शा मैट्रिक शीट ग्राम इण्डाली, खसरा गिरदावरी चतुर्वर्षीय ग्राम इण्डाली, नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम इण्डाली, मिसल हकियत मौजा इण्डाली तिकान सुलताना व ख्याली निजामत शेखावाटी, राज सवाई जयपुर संवत 1999 नकल जमाबंदी ग्राम इण्डाली संवत 2016 2018 नकल नामान्तरकरण ग्राम इण्डाली व नकल जमाबंदी संवत 2045 से 2048 ग्राम इण्डाली, नकल जमाबंदी ग्राम इण्डाली संवत 2028 से 2031 व वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत इण्डाली पं.स. झुन्झुनू दिनांकित 12.10.2021 पेश किये गये है। हमने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों व साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र व जवाब दावा प्रतिवादीगण व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन करते हुये बहस योग्य अधिवक्ता पर बगौर मनन किया गया। वाद पत्र में वर्णित भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज चन्द्रसिंह पुत्र सबलसिंह के नाम से खुद काश्त की भूमि होना मिसल हकियत संवत 1999, जमाबंदी संवत 2012 व जमाबंदी 2016 से 2019 व जमाबंदी संवत 2016 से 2019 में नामान्तरकरण सं. 46 के द्वारा उक्त जमीन सिर्फ उक्त चन्द्रसिंह के 7 पुत्रों में से दो पुत्र बालसिंह एवु लिछमण सिंह नाम से खातेदारी गलत दर्ज है। विधिक प्रावधानों के तहत उक्त चन्द्रसिंह के देहान्त होने के बाद उक्त जमीन उसके सातों पुत्रों के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज होनी चाहिये थी। क्योंकि यह भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वजों की होकर पुश्तैनी भूमि होने की **ताहिद** प्रस्तुत दस्तावेजों से होना स्पष्ट है। इस प्रकार माननीय अदालतों का यह सुस्थापित सैद्धान्त है कि पैतृक भूमि में इन्द्राजात में बिना किसी वैधानिक के कोई परिवर्तन नहीं हो सकता और इस मामले में बिना किसी वैधानिक आदेश के परिवर्तन हुआ है जो कानूनी तौर से सही नहीं है। इस सम्बन्ध में 1991 आर. आर. **डी** पेज **1128** के दृष्टान्त इस मामले में सही तौर से लागु होते है कि बिना सक्षम आदेश के पुश्तैनी भूमि में इन्द्राजात के परिवर्तन करके किसी भी खातेदार के हक समाप्त नहीं किये जा सकते। उक्त विवेचना के आधार पर वाद वादीगण पूर्णतयाः सिद्ध होने पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः

निर्णय

उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम इण्डाली तहत तहसील झुन्झुनूं स्थित कृषि भूमि ख.नं. 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 648/1326, 652, 653, 654, 655, 972 कुल किता 13 कुल रकबा 5.82 हैक्टर में से वादीगण को संयुक्त रूप से 1/7 हक हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निर्णय लिया जाता है, शेष अंकन जमाबंदी बदस्तुर। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 04.05.2022 को मेरे द्वारा टंकण करवाया जाकर खुल न्यायालय सुना गया।

(शैलेश खैरवा)
उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू
उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6 एवं 7 जा.दी.)

न्यायालय उपखंड अधिकारी,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी:– शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर :– 132/2019

उनवान

सुप्यार कंवर वगै0 बनाम महेन्द्र सिंह वगै0

दावा बाबत :–घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक :– 04.05.2022

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश सैनी, प्रतिवादीगण की ओर से श्री अमीर हुसैन, श्री जुगल किशोर सैनी उपस्थित। इस वाद में आज दिनांक 04.05.2022 को श्री शैलेश खैरवा, उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। ग्राम इण्डाली तहत तहसील झुन्झुनूं स्थित कृषि भूमि ख.नं. 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 648/1326, 652, 653, 654, 655, 972 कुल किता 13 कुल रकबा 5.82 हैक्टर में से वादीगण को संयुक्त रूप से 1/7 हक हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष अंकन जमाबंदी बदस्तुर। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 04.05.2022 को मेरे हस्ताक्षर से एवं न्यायालय की मुद्रा सहित जारी की गई।

(शैलेश खैरवा)
उपखण्ड अधिकारी,झुंझुनू
उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	4	स्टाम्प वकालतनामा	73
स्टाम्प वकालतनामा	47	स्टाम्प अर्जी दावा	
स्टाम्प वजह सबूत		मेहनतनामा वकील	
मेहनतनामा वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बाबत इजराय हुक्मनाम	
बाबत इजराय हुक्मनाम		मुतफरिक	
योग	51		73

उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू
उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)